सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 613 / सो.आ.नि.–312 / 2014
दिनाँकः 25 फरवरी, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को अवकाश की सुविधा अनुमन्य कराया जाना।**

महोदय,

संविदा के आधार पर तैनात जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन या निदेशालय स्तर से स्पष्ट निर्देश न होने के कारण वर्तमान में विभिन्न जनपदों में अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में अलग–अलग नीति अपनाई जा रही है। उक्त के दृष्टिगत विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 14 दिनों का अवकाश अनुमन्य किया जा सकता है। उक्त अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के प्रार्थना पत्रों पर विचार करने एवं अवकाश स्वीकृत करने हेतु सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी अधिकृत होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त 14 दिनों का अवकाश जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों द्वारा अधिकार स्वरूप नहीं मांगा जा सकता है और शासकीय हित में आवश्यक होने पर जिला विकास अधिकारी अवकाश के प्रार्थना को अस्वीकृत भी कर सकते हैं।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही हेतु अपने जनपद के जिला विकास अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः 613 / सो.आ.नि.–312 / 2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(शंकर सिंह)
निदेशक।